न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), कानपुर नगर।

सत्र परीक्षण संख्या 870 / 2022

सरकार बनाम पवन शुक्ला आदि

निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांकित 10.09.2024

04.10.2024

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अभियुक्ता सोनी द्वारा इस आशय से दिया गया कि उसके अधिवक्ता नियुक्त न होने के कारण दिनांक 25.07.2023 को पी0डब्लू0–1 मनोहर से जिरह नही हो पायी थी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्यायमित्र दिये जाने का आदेश किया गया है। अतः अभियुक्ता को पी0डब्लू0–1 से जिरह की अनुमति दी जाए।

प्रार्थनापत्र के विरूद्व अभियोजन की ओर से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नही की गयी केवल मौखिक विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली को अवलोकित करने से स्पष्ट होता है कि दिनांक 25.07.2023 को पी0डब्लू0–1 मनोहर से अन्य अभियुक्तगण की ओर से जिरह की गयी और तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्ता सोनी को नियमानुसार न्यायमित्र दिये जाने का आदेश किया गया। पी0डब्लू0–1 मनोहर से अभियुक्ता सोनी की जिरह का अवसर समाप्त नही हुआ है। अतः पी0डब्लू0–1 मनोहर अभियुक्त सोनी की ओर से जिरह हेतु सम्मन हो। प्रार्थनापत्र दिनांकित 10.09.2024 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली वास्ते जिरह पी0डब्लू0–1 मनोहर दिनांक 18.10.2024 को पेश हो।

(सुदामा प्रसाद)
विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम)
कानपुर–नगर

Digitally signed by SUDAMA PRASAD
Date: 2024.10.04 18:33:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court